फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 66/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/70) **श्री नानालाल उर्फ नाना भील बनाम राज्य जरिये तहसीलदार राजसमंद व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.11.2023	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री मुकेश तलेसरा, कमलेश चौहान - वकील अपीलार्थी 2. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय पेरोकार - वकील प्रत्यर्थी-तहसीलदार 3. सुश्री प्रमोदनी बक्षी - वकील प्रत्यर्थी-2 **अनवान** 1. श्री नानालाल उर्फ नैना पिता भीमा भील, निवासी जावद, हाल निवासी श्रीनाथ कॉलोनी, नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद। 2. श्री मांगीलाल उर्फ मोटा पिता भीमा भील, निवासी जावद, हाल निवासी श्रीनाथ कॉलोनी, नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद। **अपीलार्थी** 1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजसमंद। 2. आयुक्त, नगर परिषद्, राजसमंद। 3. श्री हरिलाल पिता श्री फुल मीणा, निवासी मण्डावर, तहसील सकोदरा, जिला सवाईमाधोपुर। 4. श्री नैना पिता श्री जगु भील, निवासी ढेलाना, तहसील आमेट जिला राजसमन्द (फौत-विलोपित) 5. श्री रामचंद पिता श्री रामकिशन कुमावत, निवासी आकोला, तहसील कपासन, चित्तौड़गढ़। 6. श्री दीपक पिता श्री गणेशलाल बड़ोला, निवासी किशोरनगर, राजसमंद। 7. श्री दीपक पिता श्री सत्येन्द्र बड़ाला, निवासी भंवरिया स्कूल के पास, राजनगर, तहसील व जिला राजसमंद। **प्रत्यर्थी** **अपील अन्तर्गत धारा 76 एवं 90बी राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), राजसमंद बप्रकरण संख्या 165/2009 निर्णय दिनांक 26.02.2010 (अनवान हरिराम बनाम सरकार)** **<u>निर्णय</u>** दिनांक 30.11.2023 उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), राजसमंद बप्रकरण संख्या 165/2009 निर्णय दिनांक 26.02.2010 (अनवान हरिराम बनाम सरकार) के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 76 व धारा-90बी राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- • श्री हरिलाल पिता श्री फुल मीणा निवासी मण्डावरा, तहसील सकोदरा, जिला सवाईमाधोपुर ने जरिये स्पेशल पांवर ऑफ एर्टोनी धारक श्री नैना पिता जगु भील निवासी ढेलाना, तहसील आमेट के द्वारा राजस्व ग्राम जावद के आराजी संख्या 717/3 रकबा 5.00.00 भूमि किस्म बारानी के राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा-90बी के तहत आवासीय/वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ विकसित करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) राजसमंद द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-90बी राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के स्वीकार करते हुए आवेदित भूमि का आवासीय/वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन निर्णय दिनांक 26.02.2010 प्रसारित किया।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 66/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/70) **श्री नानालाल उर्फ नाना भील बनाम राज्य जरिये तहसीलदार राजसमंद व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), राजसमंद के उक्त निर्णय दिनांक 26.02.2010 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर समक्ष मयाद बाहर प्रस्तुत की गई। अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना धारा-5 मयाद अधिनियम एवं दफा 96 जादी का प्रस्तुत किया जिस पर आपत्ति आरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर किया गया। तत्पश्चात् न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 1485 दिनांक 06.09.2023 के क्रम में जिला राजसमंद का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से प्रकरण स्थानांतरित होकर प्राप्त हुआ जिसे दिनांक 11.09.2023 को दर्ज रजिस्टर हुई। पक्षकारान/अधिवक्तागण को तद्नुसार सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया।

दिनांक 29.11.2023 को अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित, प्रत्यर्थी-1 के ओर से राजकीय पेरोकार एवं अधिवक्ता प्रत्यर्थी-2 उपस्थित। अन्य प्रत्यर्थीगण की ओर से बावजुद सूचना कोई उपस्थित नहीं। प्रत्यर्थी-4 फौत होने के सूचना प्राप्त, प्रत्यर्थी-4 केवल पांवर ऑफ एर्टोनी धारक होने से उसका नाम विलोपित किया गया, इस आशय का प्रार्थना पत्र अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा दौराने अपीलीय कार्यवाही प्रस्तुत किया गया। उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सूनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा लिखित बहस एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश-41 नियम 27 सपठित धारा-151 जा.दी. प्रस्तुत किया।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए लिखित एवं मौखिक बहस में प्रस्तुत किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का सही अवलोकन किये बगैर ही अविधिक आदेश पारित कर दिया। वादग्रस्त भूमि अपीलार्थी के पिता भीमा एवं उसके भाई डालु को आवंटित हुई और आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार दिनांक 28.10.1989 को प्रदान किये गये। वादग्रस्त भूमि के संबंध में अपीलार्थी के स्थान पर अन्य व्यक्तियों को खडा कर फर्जी एवं कुटरचित विक्रय विलेख दिनांक 01.11.1989 को निष्पादित करा दिनांक 02.11.1989 को उपपंजीयक राजसमंद के यहा पंजीबद्ध कराया है। इस विक्रय विलेख को अपीलार्थी द्वारा चुनौती दी गई, जिसके संबंध में सिविल न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा विक्रय पत्र को अवैद्य शुन्य घोषित कराने के लिए सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में जो प्रार्थना पत्र उक्त भूमि के संबंध में 90बी की कार्यवाही करने बाबत प्रस्तुत किया है, आवेदित भूमि के संबंध में विचाराधीन न्यायालय प्रकरण संख्या 57/2008 ई.दी. नानालाल बनाम रूकमणी वगैरा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण संख्या 42/2008 मु.दी. नानालाल बनाम हरिलाल के तथ्यों को छिपाकर एवं पुलिस थाना राजनगर में दर्ज प्रकरण संख्या 490/2003 के तथ्यों को छिपाकर आवेदन प्रस्तुत किया तथा उक्त आवेदन पर किसी प्रकार की जांच नहीं की गई। आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र में भी सिविल न्यायालय में वाद व स्थगन के प्रकरण को तथ्यों को छिपाकर यह कार्यवाही करवाई गई जो झुठा शपथ पत्र पेश कर करवाई गई है। उक्त प्रकरण में हरिलाल के केवल नाम का उपयोग किया गया है जबकि इस नाम का कोई व्यक्ति वास्तव में इस मौजुद ही नहीं है। प्रतिवादी द्वारा सिविल न्यायालय में प्रस्तुत जवाबदेही भी प्रस्तुत की गई जिससे भी यह प्रमाणित होता है कि उक्त भूमि अपीलार्थी द्वारा विक्रय नहीं की गई और विक्रय पत्र के संबंध में एफएसएल रिपोर्ट विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा की गई जांच में भी उक्त दस्तावेज विक्रय पत्र दिनांक 02.11.1989 अपीलार्थी द्वारा निष्पादित नहीं होना पाया गया। वादग्रस्त भूमि के पहुंच तक कोई रास्ता मौके व राजस्व रेकर्ड में

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 66/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/70) **श्री नानालाल उर्फ नाना भील बनाम राज्य जरिये तहसीलदार राजसमंद व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

मौजूद ही नहीं था फिर भी उक्त भूमि को बिना रास्ते के ही ले आउट स्वीकृत कर 90बी की कार्यवाही की गई। आदेश पारित किये जाने से संबंधित विभागों से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई। उक्त भूमि के संबंध में ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर पेश ही नहीं किया जिसके तहत उक्त भूमि के संबंध में कार्यवाही करने हेतु श्री नैनाराम अधिकृत हो। उक्त मामलें में कथित रूप से दिनांक 26.11.2009 को समाचार पत्र प्रातःकाल में आपत्ति की सूचना जारी करवाई गई, उक्त आपत्ति सूचना पत्र में उक्त वादग्रस्त भूमि के नम्बर ही अंकित नहीं है। जो अधिकार पत्र प्रस्तुत किया गया, उसके अधिकार पत्र ग्रहिता के हस्ताक्षर ही अंकित नहीं है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में अधिकार पत्र धारक नैना के पसा जब कब्जा ही नहीं था तो उसके द्वारा उक्त भूमि के समर्पण करने, कब्जा सुपुर्द करने एवं अन्तरण करने के कोई अधिकार ही प्राप्त नहीं होते है। वादग्रस्त भूमि अपीलार्थी की खातेदारी एवं कब्जे आधिपत्य की है, जिसे हडपने के लिए अपीलार्थी के स्थान पर अन्य व्यक्तियों को खड़ा कर उक्त भूमि का फर्जी एवं कुटरचित विक्रय विलेख निष्पादित एवं पंजीयन कराया गया जिसमें संबंध में पुलिस थाना राजनगर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 490/2003 दर्ज कराई गई, जिसमें अभियुक्तगण को दोषी मानते हुए चालान पेश किया गया तथा उक्त प्रकरण के अनुसंधान में हरिलाल नामक कोई व्यक्ति इस दुनिया में अस्तित्व में नही नहीं है। इस कार्यवाही के जरिये अपीलार्थी जो कि अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है, उसकी कृषि भूमि सामान्य व्यक्ति के नाम पर अंतरण नहीं हो सकती है और यदि ऐसा कोई अंतरण किया भी गया है तो धारा-42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरित है। इस कार्यवाही के जरिये रेस्पोडेंट को किसी प्रकार के कोई हक अधिकार सृजित नहीं होते है, सारी कार्यवाही फर्जी रूप से धारा-42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरित सम्पादित की गई और इसके विपरित की गई कार्यवाही के आधार पर भूमि रूपान्तरण के आदेश एवं जारी किये गये पट्टे भी प्रारम्भ से ही अवैध शुन्य एवं प्रभावहीन है। अपीलार्थी द्वारा अपने हक अधिकार के संबंध में सक्षम सिविल न्यायालय में वाद पेश कर रखा है जहां पर वादग्रस्त भूमि के संबंध में अपीलार्थी के पक्ष में स्थगन भी जारी है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी जो कि इस भूमि पर मूल रूप से मालिक होकर आज भी इस जमीन पर काबिज है तथा इसकें संबंध में वाद विचाराधीन समक्ष न्यायालय में है, इसलिए उक्त आदेश से अपीलार्थी व्यथित व्यक्ति है, इसलिये अपीलार्थी की ओर से यह अपील मय प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी के पेश की गई। ऐसे अविधिक आदेश पर मयाद का बिन्दु लागु होता है। उक्त मयाद को उपशमित किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम का अपील की साथ प्रस्तुत किया गया। अंत में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश एवं उसके अनुसरण में जारी पट्टे को निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी-2 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई समस्त कार्यवाही को विधि सम्मत बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी तहसीलदार की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता राजकीय पेरोकार द्वारा पत्रावलियों पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रकरण गुणावगुण पर निस्तारित किये जाने का अनुरोध किया।

हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 66/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/70) **श्री नानालाल उर्फ नाना भील बनाम राज्य जरिये तहसीलदार राजसमंद व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आद्योपांत अवलोकन किया।

हम अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम पर भी विवेचन किया जाना उचित समझते है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपीलार्थी द्वारा अवैधानिक आदेश पर मयाद का बिन्दु लागु नहीं होने बताकर व्यथित व्यक्ति होने से अपील प्रस्तुत कर मयाद कण्डोन किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया है। **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने आर.आर. डी. 1998 पेज 319** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अगर प्रकरण गुणावगुण पर मजबुत होता है तो उसे केवल मयाद के आधार पर निर्णित नहीं कर गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये, जिससें यह प्रावधित किया गया है कि-

> Limitation Act, 1963, S.5 – Dismissal of Appeal by lower appellate court on ground of limitation without looking into merits of the case – Legality of – Held, now must be taken as well as settled principle of law that before rejecting application u/s.5, and dismissing appeal as time barred, Courts of law are required to put a glance as a condition precedent on merits of appeals and unless appeals are found be hopelessly devoid of merits, ordinarily efforts should be made to decide appeals on merits.

चुंकि प्रकरण में प्रथम दृष्टया आलौच्य आदेश से अपीलार्थी के हित प्रभावित होते है एवं अपीलार्थी के पूर्वाधिकारी के विवादित भूमि का खातेदार थे, ऐसी स्थिति में उसके हितों पर कुठारघात होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रकरण में प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तानुसार मयाद का उपशमन किया जाकर गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित है। परिसीमा नियमों का अभिप्राय यह है कि पक्षकारों के अधिकारों को नष्ट नहीं करे। वे यह देखने के लिये अभिप्रेरित है कि पक्षकार विलम्बकारी चालों का सहारा न ले अपितु शीघ्रता से अपना उपचार मागें। विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र गुणवत्ता के आधार पर स्वीकार किया जाता है और अपील को समयावधि में मानकर अपील का गुणावगुण पर निस्तारण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा मयाद के बिन्दु पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। साथ ही अपीलार्थी द्वारा दौराने अपीलीय कार्यवाही विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जिससे वादग्रस्त भूमि पर जारी अपीलाधीन आदेश से उसके हित प्रभावित होना प्रकट होता है, ऐसे में न्याय हित में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

दौराने कार्यवाही, अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा-151 जादी का प्रस्तुत किया। प्रस्तुत दस्तावेज राजकीय विभागों से जारी किये गये दस्तावेज है। राजस्व अभिलेखों के अनुसार जारी दस्तावेज व राजकीय विभागों के दस्तावेजों की सत्यता पर भी प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। अतः प्रस्तुत दस्तावेज अभिलेख पर लिये जाने का आदेश प्रदान किया जाता है।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री हरिलाल पिता श्री फुल मीणा निवासी मण्डावरा, तहसील सकोदरा, जिला सवाईमाधोपुर ने जरिये स्पेशल पांवर ऑफ एर्टोनी धारक श्री नैना पिता जगु भील निवासी ढेलाना, तहसील आमेट के द्वारा राजस्व ग्राम जावद के आराजी संख्या 717/3 रकबा 5.00.00 भूमि किस्म बारानी के राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा-90बी के तहत आवासीय/वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ विकसित

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 66/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/70) **श्री नानालाल उर्फ नाना भील बनाम राज्य जरिये तहसीलदार राजसमंद व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) राजसमंद द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-90बी राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के स्वीकार करते हुए आवेदित भूमि का आवासीय/वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन निर्णय दिनांक 26.02.2010 प्रसारित किया जिससे व्यथीथ होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि राजस्व ग्राम जावद पटवार क्षेत्र धोईन्दा में आराजी संख्या 717/3 रकबा 5 बीघा किस्म बारानी तृतीय कृषि भूमि स्थित है। उक्त भूमि अपीलार्थीगण के पिता एवं उनके काका को दिनांक 04.01.1975 को पत्रावली संख्या 269/1975 के जरिये आवंटित हुई और आवंटन के उपरान्त उक्त भूमि उनके नाम से राजस्व रेकर्ड में खातेदारी के रूप में दर्ज हुई। तत्पश्चात तत्पश्चात अपीलार्थीगण के पिता की मृत्यु होने से आवंटित भूमि में से अपीलार्थी के पिता के हिस्से की भूमि अपीलार्थीगण के नाम बराबर हिस्से से दर्ज हुई। उक्त भूमि को गैरईरादतन अपीलार्थीगण के नाम से एक फर्जी व्यक्ति को खड़ा कर विक्रय विलेख दिनांक 2.11.1989 को निष्पादित करा पंजीयन कराया गया और उक्त फर्जी विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करा दिया गया। उक्त फर्जी विक्रय पत्र की जानकारी प्राप्त होने पर अपीलार्थी द्वारा अभियुक्तगण के खिलाफ थाना राजनगर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 490/03 दर्ज कराई गई, जिसमें न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमंद द्वारा अभियुक्तगणों की जमानत अर्जी को जरिये आदेश दिनांक 13.10.2003 को खारिज कर दिया गया। अपीलार्थीगण द्वारा उक्त फर्जी विक्रय पर को खारिज कराने बाबत माननीय न्यायालय अति. विशिष्ठ सिविल न्यायाधीश, राजसमंद समक्ष प्रकरण संख्या 57/2008 ई.दी. नानालाल बनाम रूकमणी वगैरा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण संख्या 42/2008 मु.दी. नानालाल बनाम हरिलाल दिनांक 31.07.2008 को दर्ज कराया गया। मूल बाद संख्या 57/2008 आदिनांक विचाराधीन है। मूल वाद में अपीलार्थीगण द्वारा तहसीलदार राजसमन्द को भी पक्षकार बनाया गया जो प्रस्तुत वाद पत्र से परिलक्षित होता है। लेख है कि श्री हरिलाल पिता श्री फुल मीणा निवासी मण्डावरा, तहसील सकोदरा, जिला सवाईमाधोपुर ने जरिये स्पेशल पांवर ऑफ एर्टोनी धारक श्री नैना पिता जगु भील निवासी ढेलाना, तहसील आमेट के द्वारा राजस्व ग्राम जावद के आराजी संख्या 717/3 रकबा 5.00.00 भूमि किस्म बारानी के राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा-90बी के तहत आवासीय/वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ विकसित करने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 28.10.2009 को प्रस्तुत किया। जिस प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तहसीलदार, राजसमंद से रिपोर्ट प्राप्त की गई, तहसीलदार राजसमन्द द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 17.02.2009 को पेश की गई, जिसमें उनके द्वारा आवेदित/वादग्रस्त भूमि के संबंध में कोई वाद विचाराधीन नहीं होना बताया, जो संलग्न पटवारी रिपोर्ट से जाहिर होता है। इसके अतिरिक्त पटवारी की जांच रिपोर्ट में अंकित नक्शा में भी वादग्रस्त भूमि पर जाने हेतु कोई मार्ग दर्शित नहीं बताया गया है, जो कि किसी भी 90बी की कार्यवाही में आवश्यक है। इसके अतिरिक्त उक्त प्रकरण में आवेदक हरिलाल ने भी संलग्न शपथ पत्र में कोई वाद विचाराधीन होना नहीं बताया है, जबकि वाद संख्या 57/2008 में वह भी पक्षकार था। उक्त स्थिति से यह तो स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण में धारा-90बी कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी समक्ष वास्तवित तथ्य प्रस्तुत नहीं किये, न ही संबंधित तहसीलदार राजसमंद द्वारा वास्तविक स्थिति प्रस्तुत की, जबकि वह विचाराधीन प्रकरण में पक्षकार थे। माननीय उच्चतम

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 66/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/70) **श्री नानालाल उर्फ नाना भील बनाम राज्य जरिये तहसीलदार राजसमंद व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि पक्षकारों के मध्य यदि विवादित भूमि के सम्बन्ध में दावे विचाराधीन है तो दावों के निर्णय होने तक राजस्व मामलों से संबंधित कार्यवाही स्थगित रखी जानी चाहिए ताकि पक्षकारों के मध्य अनावश्यक विवाद न बढ़े एवं न ही वाद बाहुल्यता को बढ़ावा मिलें। इस प्रकरण तहसीलदार राजसमंद द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में वास्तविक स्थिति अंकित नहीं की गई, लम्बित वादों एवं कब्जे के संबंध में गलत रिपोर्ट की गई। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा भी लम्बित वादों की स्थिति प्रस्तुत नहीं की गई जो अनुचित है। इस प्रकार की गलत रिपोर्ट किया जाना वाद बाहुल्यता को बढ़ावा देती है, जिसका परिणाम हस्तगत प्रकरण है। यदि आवेदन एवं तहसीलदार के रिपोर्ट में प्राधिकृत अधिकारी समक्ष वास्तविक तथ्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती तो प्राधिकृत अधिकारी स्तर से ऐसा त्रुटिपूर्ण आदेश पारित नहीं होता। उपरोक्त विवेचन के दृष्टिगत अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.02.2010 का यह न्यायालय समर्थन नहीं करता है जिससे उक्त आदेश दिनांक 26.02.2010 निरस्तनीय है। परिणामतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्राधिकृत अधिकारी, राजसमन्द का अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.02.2020 निरस्त किया जाता हैं और इस आदेश की अनुसरण में की गई कार्यवाहियां स्वतः निरस्तनीय है। जैसा की उपरोक्त पेरा में वर्णित किया गया है कि अपीलार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय अति. विशिष्ठ सिविल न्यायाधीश, राजसमंद के समक्ष निषेधाज्ञा का प्रकरण संख्या 42/2008 मु.दी. नानालाल बनाम हरिलाल भी दर्ज कराया गया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा निषेधाज्ञा के आवेदन को स्वीकार करते हुए मूल वाद के निस्तारण तक निर्णय दिनांक 29.11.2011 से निषेधाज्ञा लागु की गई। ऐसें में माननीय न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 29.11.2011 के आलोक में इस न्यायालय द्वारा पारित यह निर्णय लम्बित मूल वाद संख्या 57/2008 के निर्णय के अध्यधीन रहेगा। उपरोक्त निर्देशों के साथ अपील अपीलान्ट निर्णित की जाती है। तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। (महावीर खराड़ी) R.A.S. अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर	